संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

छठवी मंजिल, विन्ध्यांचल भवन, म0प्र0 भोपाल
फोन :- 0755-2578491, फेक्स- 2570122
E- rkvyhorti@mp.gov.in

क्रमांक/उद्यान/RKVY/2020-21/ 3609 भोपाल, दिनांक 3/6/2020

प्रति,

सहायक संचालक उद्यान,

जिला- दतिया।

विषयः- वर्ष 2020-21 के लिये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार अंतर्गत पुष्प की खेती का बढ़ावा देने हेतु भौतिक-वित्तीय लक्ष्य आवंटन बावत।

------0------

विषयांतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार अंतर्गत पुष्प की खेती का बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2019-20 के शेष भौतिक - वित्तीय लक्ष्य को इस वर्ष 2020-21 के लिए आवंटित किया जाता है। यह लक्ष्य ऑनलाइन पध्दति के तहत उपलब्ध होंगे। योजना का क्रियान्वयन MPFSTS पोर्टल के माध्यम से निम्न निर्देशों के तहत सुनिश्चित किया जावे।

1. योजना का क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।
2. योजना में लघु एवं सीमान्त हितग्राहीयों को ही लाभ दिया जा सकेगा।
3. आवंटित भौतिक-वित्तीय लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति इसी वित्तीय वर्ष 2020-21 में सुनिश्चित की जावे।
4. योजनान्तर्गत हितग्राही को न्यूनतम 0.25 हे. एवं अधिकतम 2.00 हे. क्षेत्र के लिये लाभ दिया जा सकेगा।
5. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) की गाईडलाईन अनुसार योजनान्तगत Loose Flower हेतु इकाई लागत राशि रूपये 40,000/- का 40 प्रतिशत राशि रूपये अधिकतम 16,000/- प्रति हेक्टेयर अनुदान देय होगा।
6. योजना का क्रियान्वयन जिले के आस-पास कलस्टर में किया जाकर कृषकों को मार्केट लिंकेज से जोड़ा जावे।
7. जिला उद्यानिकी अधिकारी योजना में चयनित हितग्राहियों को उनकी मांग के आधार पर एम.पी. एग्रो से समय पर निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता युक्त संकर बीज की व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
8. कार्यादेश/आशय पत्र जारी करने के अधिकतम 02 माह के भीतर (फसल की स्थिति के अनुसार) क्षेत्रीय ग्रा.उ.वि.अधि./वरि.उ.वि.अधि. मैदानी भ्रमण कर फसल का सत्यापन करेंगे तथा कृषक को फसल की स्थिति के संबंध में परामर्शीय सेवा प्रदान करने के उपरांत **जियो-टैगिंग** की कार्यवाही करेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान हितग्राही की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

9. जिला उद्यान अधिकारी इस योजना के हितग्राहियों को लाभ पाने की स्थिति की समीक्षा मैदानी अमले के साथ पाक्षिक आधार पर करेंगे तथा रेण्डम आधार पर जिले में भ्रमण कर योजना के हितग्राहियों से संपर्क कर योजना क्रियान्वयन की मैदानी स्थिति का आंकलन करेंगे तथा आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कदम उठायेंगे।

10. आबंटित भौतिक-वित्तीय लक्ष्य का विवरण निम्नानुसार है:-

भौतिक (हेक्टेयर)				वित्तीय (लाख में)			
सामान्य	अजजा	अजा	योग	सामान्य	अजजा	अजा	योग
55.80	12.50	6.25	**74.55**	8.927	2.000	1.000	11.927

(पुष्कर सिंह)
आयुक्त
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक/उद्यान/RKVY/2020-21/ 3610 भोपाल, दिनांक 3/6/2020

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, मालवीय नगर, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि संलग्न अनुसार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को एम.पी.एफ.एस.टी.एस. पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत- ग्वालियर।
3. संयुक्त संचालक उद्यान, संभाग- ग्वालियर।

आयुक्त
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
मध्यप्रदेश भोपाल